

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत चुनाव 2024 का राजनीतिक समीक्षा

प्राप्ति: 30.11.25
स्वीकृत: 15.12.25

95

डॉ. दिलेश्वरी साहू

अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान विभाग)
स्व. देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय,
गण्डई, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिले में ग्राम पंचायत चुनाव 2024 का राजनीतिक समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में प्राथमिक आंकड़ों की संकलन हेतु कुल 120 (60 जनप्रतिनिधि और 60 ग्रामीण मतदाता) शामिल हैं, जिसे दैव निर्देशन शोध पद्धति के तहत गैर-आनुपातिक स्तर पर आधारित है। द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु शासकीय दस्तावेज, जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा, विभिन्न शोध पत्र एवं इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया गया है। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण एवं समीक्षा के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि वर्तमान चुनाव प्रत्याशियों के लिए धन कमाने एवं राजनीतिक पहचान, स्वयं की राजनीतिक बल तथा जातिगत समीकरण का प्रभाव अधिक है तथा चुनाव में ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दे नगण्य हैं। चुनाव जीतने पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, नैतिक/अनैतिक स्तर तक प्रयास किये जाते हैं तथा प्रभूजाति का प्रभाव प्रत्यक्ष रहा है, वहीं इस बार चुनाव में नव युवा प्रत्याशियों का प्रभाव सर्वाधिक रहा है।

मुख्य शब्द

पंचायत चुनाव, ग्रामीण मतदाता, पंचायतीय निकाय, युवा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेतृत्व।

प्रस्तावना

भारत में ग्राम स्तर पर पंचायतीय प्रणाली एक प्रचीन अवधारणा रही है। इसे अलग-अलग शासन काल में विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है, यथा-चोल वंश में नाडू परिषद, मौर्यवंश एवं मुगल काल में पंचायती व्यवस्था, इत्यादि जो ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था की बागडोर संभाले हुए थे। आधुनिक इतिहास में भारत में स्थानीय स्वशासी संस्था के जनक लार्ड रिपन को 1882 में विशेष प्रयास के कारण जनक कहा जाता है। वर्ष 1919 में प्रथम बार पंचायतें कानूनी

संस्था के रूपा में बनाया गया। पंचायती राज को कानूनी रूप देने में बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जी.वी.के.राव, लक्ष्मी सिंघवी, थुंगन व गाडगिल समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में अनेक प्रस्ताव, सुधार व सुझाव को ध्यान में रखते हुए 1992 में 73वां संविधान संशोधन पश्चात् कानूनी रूपा प्रदान किये गये, साथ ही 1995 में भूरिया समिति द्वारा पेसा एक्ट (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार व विशेष प्रावधान) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान समय में पेसा एक्ट 1996 देश के 10 राज्यों में लागू है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के स्थानीय एवं नगरीय निकायों के चुनावों में युवा वर्ग की राजनीति भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। दो-तीन पंचवर्षीय पूर्व यह प्रौढ़ और अनुभवी लोगों की भागीदारी रही है, किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में भी युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस व्यवस्था को नई पहचान दिलाया है। इस बार पंचायतीय चुनावों में नवयुवाओं का सर्वाधिक भागीदारी रहा है। इस बार कई ऐसे युवा जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष से भी कम है वे पंचायत मुखिया व पंचायत सदस्य, जनपद व जिला पंचायत सदस्य भी चुने गये हैं, युवाओं के राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ती अभिरूचि को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ में पंचायती स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, वर्तमान समय में इसकी कुल संख्या अग्रतालिका में वर्णित है—

क्र.	त्रि-स्तरीय पंचायत	पंचायतों की कुल संख्या
1.	जिला	27
2.	जनपद	146
3.	ग्राम	11664

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

पटेल, रजनी (2016) ने “बालोद विधानसभा में मतदान व्यवहार का विश्लेषण (विधानसभा चुनाव 2008 एवं उपचुनाव 2011 के संदर्भ में)” अपने अध्ययन में पाया कि गांव में चुनाव का प्रचार-प्रसार अधिक होता है, गांव के लोग संगठित होकर आपस में विचार-विमर्श कर प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं। शहरी मतदाता की तुलना में ग्रामीण मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बड़े उत्साह से करते हैं। वर्तमान मतदाताओं की प्रवृत्ति में बदलाव आया है, अब मतदाता राजनीतिक दल से प्रभावित होकर नहीं अपितु राजनीतिक दलों के गुणों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से पीढ़ीदर पीढ़ी प्रतिबद्धता के स्थान पर व्यक्तिगत छवि महत्वपूर्ण हो रहा है और मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहा है।

नेगी, बलदेव सिंह (2022) ने “हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी” अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी और प्रतिभागियों का बढ़े पैमाने पर शिक्षित होना साकारात्मक ही नहीं बल्कि पड़ोसी प्रदेशों के साथ साथ पूरे देश के लिए उत्साह का स्रोत है। क्योंकि बढ़े पैमाने पर युवा बढ़-चढ़ कर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में आए हैं अब यह देखना होगा कि आगामी पांच वर्षों में ये युवा प्रतिनिधि अपनी सम्बन्धित पंचायतों में विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने, कल्याणकारी योजनाओं के गांवों में क्रियान्वन, ग्राम सभा में जनता की सहभागिता, विभिन्न योजनाओं

के लाभार्थियों के चयन, पंचायत के अन्दर फ्रंटलाईन विभागों के साथ समन्वय, ब्लॉक और जिला कार्यालयों के साथ सम्बंध इत्यादि के संदर्भ में क्या प्रदर्शन करते हैं। यह युवा प्रतिनिधि एक उत्साहपूर्ण प्रदर्शन करे, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने सरकार को चाहिए कि इन युवा प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए एक रणनीति तैयार करे ताकि इन में एक सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना पैदा हो।

सरूमथी एवं अन्य (2012) ने "Knowledge, Attitude and Practice of Youth in Panchayati Raj – A Study of Kerala" अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी स्थानीय सरकारों के लिए एक मज़बूत समर्थन प्रणाली प्रदान कर सकती है। एक ऐसे सक्षम वातावरण का महत्व, जिसमें स्थानीय सरकारें और युवा दोनों एक साथ मिलकर "विकास में भागीदार" के रूप में कार्य करें, पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं को उस संवैधानिक और राजनीतिक जनादेश को समझना होगा जिसके आधार पर स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं। यह आवश्यक है कि युवा स्थानीय शासन की प्रणालियों, संस्थाओं और प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। स्थानीय सरकारों द्वारा शुरू और कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में उस भौगोलिक क्षेत्र के युवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, चिंताओं, हितों और प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

शोध का महत्व

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक जाति, धर्म, समुदाय के व्यक्ति को नेतृत्व करने का अधिकार है। इस शोध में ग्रामीण नेतृत्व नवयुवकों/नवयुवतियों पर बढ़ते राजनीतिक प्रवेश को ग्रामीण विकास, नवाचार के विपरीत अत्यक्ष धन संचय, राजीतिक पहचान होने संबंधी आशंका के कारण उक्त शोधकार्य किया गया है, जिससे ग्रामीण राजनीति में युवावर्ग की वास्तविक राजनीतिक इच्छाओं को ज्ञात किया जा सके। वर्तमान समय में सोशल मीडिया व राजनीतिक उत्तेजनाओं को समझने का प्रयास भी किया गया है। यह शोध आगामी चुनाव में मतदाताओं को बेहतर प्रत्याशी चुनने व अच्छे लोगों की राजनीति प्रवेश को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण राजनीति में युवाओं की सहभागिता को ज्ञात करना।
2. ग्रामीण युवाओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति व राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उत्सुकता का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण युवाओं की शैक्षणिक व राजनीतिक अनुभव को ज्ञात करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक शोध प्ररचना व गुणात्मक शोध पर आधारित है, जिसके अंतर्गत शोधार्थी द्वारा प्राथमिक आंकड़ों के लिए साक्षात्कार अनुसूची व अवलोकन तथा द्वितीयक आंकड़ों को शासकीय दस्तावेज, जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा (छ.ग.), शोध पत्र-पत्रिकाएँ, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग किया गया है। वहीं उत्तरदाताओं का चयन गैर-आनुपातिक आधार पर 15 ग्राम पंचायतों में कुल 120 उत्तरदाताओं (60 ग्रामीण मतदाता एवं 60 जनप्रतिनिधि जिसमें सरपंच व पंचगण – महिला-पुरुष) सम्मिलित है, का चुनाव असंभावित निदर्शन के आधार पर किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन

क्र.	विकासखण्ड	चयनित ग्राम पंचायत	मतदाता	जनप्रतिनिधि	योग
1.	साजा	अगरी, बहानी, रानो, राजपुर, रक्शा	20	20	40
2.	बेमेतरा	बैंजी, मुडपार, रांका, लोलेसरा, रेवे	20	20	40
3.	नवागढ़	जैतपुरी, मूरता, हाथाडांडू, नांदल, अधियारखोर	20	20	40
योग			60	60	120

अध्ययन क्षेत्र

बेमेतरा जिला नवगठित जिला है, जिसे 1 जनवरी 2012 को दुर्ग जिले से पृथककर स्थापित किया गया है। जिले में चार तहसील (साजा, बेमेतरा, नवागढ़ व बेरला) एवं तीन विकासखण्ड (साजा, बेमेतरा व नवागढ़) हैं। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बेमेतरा शहर के बीच से होकर गुजरता है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या 7,95,334 है, जिसमें कुल मतदाता 6,37,378 (महिला 3,15,470 एवं पुरुष 3,21,901 तथा 07 अन्य) हैं। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है।


तथ्यों का विश्लेषण

ग्रामीण युवा द्वारा किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना

वर्तमान समय में जो भी युवा अपनी राजनीतिक शुरुआत करना चाहते हैं वे किसी न किसी क्षेत्रीय/राजनीति दल का समर्थन करता है। शोधार्थी द्वारा युवाओं की राजनीतिक दल के समर्थन करने संबंधी तथ्यों को संकलित कर अग्रतालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-01 : उत्तरदाताओं द्वारा राजनीतिक दल का समर्थन

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	भारतीय जनता पार्टी	54	45.0
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	47	39.2
3.	क्षेत्रीय व अन्य	19	15.8
योग		60	100




तालिका एवं आरेख क्रमांक-01 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित मतदाताओं व जनप्रतिनिधियों में राजनीतिक दलों के समर्थन की स्थिति को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 45.0 प्रतिशत उत्तरदाता भारतीय जनता व 39.2 प्रतिशत उत्तरदाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों व निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की जानकारी देने वाले उत्तरदाता केवल 15.8 प्रतिशत है। उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ग्रामीण युवाओं में राजनीतिक दल का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है तथा क्षेत्रीय पार्टी जैसे राजनीतिक दल अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगा है जो ग्रामीण युवा विशेषकर किसान वर्ग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

युवा-वर्ग द्वारा नेतृत्व करने का कारण

युवावर्ग की बढ़ते राजनीतिक इच्छाशक्ति को देखते हुए इनके राजनीतिक प्रवेश को ज्ञात कर अग्रतालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-02 : उत्तरदाताओं में युवा-वर्ग द्वारा नेतृत्व करने का कारण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	समाज सेवा	27	22.50
2.	ग्रामीणों में राजनीतिक मार्गदर्शन करना	45	37.50
3.	ग्रामीण नेतृत्व कर सेवा करना	38	31.7
4.	अन्य	10	8.3
योग		60	100



तालिका एवं आरेख क्रमांक-02 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित मतदाताओं व जनप्रतिनिधियों में युवा-वर्ग द्वारा नेतृत्व करने का कारणों को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 37.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्रामीणों में राजनीतिक मार्गदर्शन करने की इच्छा से नेतृत्व का प्रयास किया जा रहा है, 31.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्रामीण नेतृत्व कर सेवा करने के उद्देश्य से राजनीतिक नेतृत्व करने का कारण बताया है। 22.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि ग्रामीण राजनीतिक नेतृत्व करने का मुख्य कारण समाज ग्रामीणों की सेवा करना है। 8.3 प्रतिशत


उत्तरदाताओं ने नेतृत्व करने के लिए अन्य विभिन्न प्रकार के कारण बताये हैं। उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि युवा वर्ग में पूर्व की अपेक्षा नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है, जिसमें ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता, सहभागिता में वृद्धि करना है, किन्तु आधे से अधिक नवयुवक राजनीति में आर्थिक लाभ की दृष्टिकोण से भी प्रवेश कर रहे हैं, जो नकारात्मक शक्ति का सूचक है। ऐसे युवाओं में सेवा भाव की कमी व ग्रामीण विकास के बजाय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना जैसी घटनाएँ सामने आती है। इन युवा प्रत्याशियों के पास राजनीतिक समझ नगण्य प्रतीत होती है।

ग्रामीण युवाओं की राजनीतिक समझ/अनुभव

शोधार्थी द्वारा ग्रामीण युवाओं की बढ़ते राजनीतिक इच्छा व 2024 के पंचायत चुनाव में निर्वाचित होकर आये युवाओं की राजनीतिक अनुभव को ज्ञात कर अग्रतालिका में दर्शाया गया है।

तालिका-03 : उत्तरदाताओं में ग्रामीण युवाओं की राजनीतिक समझ/अनुभव

क्र.	अनुभव (वर्ष में)	संख्या	प्रतिशत
1.	एक पंचवर्षीय से कम	09	7.5
2.	दो पंचवर्षीय	24	20.0
3.	तीन पंचवर्षीय	45	37.5
4.	चार पंचवर्षीय	27	22.5
5.	पांच पंचवर्षीय से अधिक	15	12.5
योग		60	100



तालिका एवं आरेख क्रमांक-03 में अध्ययन क्षेत्र के चयनित मतदाताओं व जनप्रतिनिधियों में ग्रामीण युवाओं की राजनीतिक समझ/अनुभव की स्थिति को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 37.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें तीन पंचवर्षीय कार्यकाल का अनुभव है। 22.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें चार पंचवर्षीय व 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि दो पंचवर्षीय कार्यकाल से नेतृत्व का अनुभव है। 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें 5 पंचवर्षीय कार्यकाल एवं 7.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने केवल 1 पंचवर्षीय या एक पंचवर्षीय से कम समय का अनुभव होना बताया है। उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित मतदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों को दो से चार पंचवर्षीय कार्यकाल तक नेतृत्व अनुभव है, ऐसे

में नेतृत्व करना एवं ग्रामीण विकास को समझते हुए समस्याओं का निराकरण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ में सम्पन्न हुए पंचायती चुनाव 2024 का राजनीतिक विश्लेषण, बेमेतरा जिले के संदर्भ में किये गये हैं। वर्तमान समय में युवा राजनीति की समझ महाविद्यालय से ही शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ एक छात्र नेता के रूप में महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का समाधान/निराकरण करने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण नेतृत्व करने के लिए यही वर्ग सामने आते हैं तथा ग्रामीण राजनीति का हिस्सा बनते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना प्रारंभ होती है। हालांकि युवाओं की राजनीतिक इच्छा सेवा करना न होकर स्वयं की पृथक पहचान बनाना तथा सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने पर अधिक बल दिया जा रहा है।

सन्दर्भ

1. Sarumathy, M., Gireesan, K and Hiranniya Kalesh P. "Knowledge, Attitude and Practice of Youth in Panchayati Raj – A Study of Kerala" Research Monograph Series, December ; 2012. <https://www.researchgate.net/publication/287491460>
2. चतुर्वेदी, दर्शी "भारत में स्थानीय स्वशासन तथा पंचायतीराज व्यवस्था : एक ऐतिहासिक विवेचन" रिव्यूव जर्नल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, अंक-16, संख्या-01, 2018.
3. कुर्मी, मोतीलाल "पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास" इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, अंक-08, भाग-12, 2017. पटेल, रजनी "बालोद विधानसभा में मतदान व्यवहार का विश्लेषण (विधानसभा चुनाव 2008 एवं उपचुनाव 2011 के संदर्भ में)" अप्रकाशित शोध प्रबंध, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, 2016.
4. नेगी, बलदेव सिंह "हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में युवाओं की बढ़ती भागीदारी" लोक प्रशासन, खण्ड-14, अंक-01, जनवरी-जून ; 2022, पृ० सं०-97-114.
5. नायक, मकखन लाल "राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के विभिन्न आयाम : एक अध्ययन" जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजिस एण्ड इन्नोवेटिव रिसर्च, अंक-5, भाग-10, 2018.
6. प्रसाद, श्यामसुन्दर : 'ग्रामोदय से भारत उदय, अभियान की प्रासंगिकता' प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर 2016.
7. प्रतिवेदन, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़, 2024।
8. प्रतिवेदन, जिला सांख्यिकी कार्यालय, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़, 2023।
9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, अधिकारिक वेबसाइट।
10. एस. आर. माहेश्वरी "भारत में स्थानीय शासन", लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, 2012
11. श्रीवास्तव, दिनेश : 'भारत में ग्राम विकास की नई चेतना', प्रतियोगिता दर्पण, नवम् अंक, अप्रैल 2009.